कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 776 / 2-6 देवरिया, दिनांक, सितम्बर 19 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- **जनपद–देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या–908 / ग्राम–कोन्वहलियॉ पो0–कंचनपुर, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षो / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या–8 बी / यू0पी0 / 06 / 12 / 2023 / एफ0सी0 / 337 दिनांक 05.09.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–637 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / एप्रोच / 145661 / 2021 दिनांक 06.09.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्राधिकारी का नाम जिसके आदेशों का उल्लंघन किया गया है।	इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है।
2	उल्लंघन न रोक पाने पर वन विभाग के अधिकारियों की गयी कार्यवाही।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा बिना अनुमति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिस पर विभागीय रेंज केस सं0–36 / 2022–23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा जारी करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।
3	क्या वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग रोक दिया गया है।	वन भूमि का अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दिया गया है तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर जारी एच–2 केस सं0–36 / 2022–23 दिनांक 14.12. 2022 केस जारी करते हुए मु0 40,000.00 मात्र की धनराशि प्रतिकर के रूप में धनराशि ई–3 सं0–12943 / 41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा करा दिया गया है।
4	उल्लंघन का संज्ञान / स्वीकृति लेते हुए एच0पी0सी0एल0 ने क्या कार्यवाही शुरू की है।	प्रयोक्ता एजेन्सी / फर्म द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग (उल्लंघन) के आरोप में जारी एच–2 केस के अनुपालन में जुर्माना / प्रतिकर की धनराशि मु0 40,000.00 जमा की गयी है, तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्धता दी गयी है।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा उल्लंघन रोकने के लिये एच–2 केस इजरा किया गया है तथा प्रतिकर की धनराशि जमा कराकर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अपेक्षित है कृपया वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

भवदीय

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU